

16-1-19.

वकील प्रार्थी उपाधित । वकील प्रार्थी द्वारा अपार्थी गण के नोटिस पेश करने को समय चाहा । परन्तु पूर्व में वकील प्रार्थी को नोटिस पेश करने कावत कई अवसर दिये जा चुके हैं । अब समय दिया जाना उचित नहीं है । अतः पत्राव अदम तकमील में रवारिज की जाती है । पत्रावली फेसल शुमार करते हुए नम्बर से कम की आकर बाद जाता क्षीरविल यफतर हो ।

ॐ
मुकेश प्रियदास
पदेन
राजस्थान वकील हाधिकार
जयपुर कैंप-धीवपुर